



फर्द अहकाम

आलय सहायक कलक्टर काठे कु जयपुर

संग्रह बनाम न-श

दमा संख्या / वर्ष

१ / १० / 2019

सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष टिप्पण
		<p>आतः इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है। आज्ञावली संख्या 2,14 ने दिनांक 20-5-2019 से जवाब पेश नहीं किया है। पूर्व में कई अवसर दिए जा चुके हैं। आतः आज्ञावली संख्या 2,14 का जवाब का अवसर कई किया जाता है। पत्रावली काग्रेसी कार्यवाही हेतु दिनांक 5/8/2021 को पेश की है।</p> <p style="text-align: center;">  सहायक कलक्टर आमेर म. जयपुर </p>	
	5/8/2021	<p>पत्रावली पेश हुई उक्त पक्ष की व्यवस्था गठ उपस्थिता प्रा.प. म.नि. पर बहस सुनी गई। मूल पत्र में प्रापतिक डिक्री की जा चुकी है तथा प्रकरण में प्रती की प्रकी प्रका की वि-का-डित कारागी पर एकपक्षीय घनी प्रतीत नहीं होती है। अतः अन्तर्गत अस्थायी निषेधाज्ञा और पाबन्ध नहीं किया जाता है। पत्रावली खार्च की जाती है। पत्रावली केसल शुभल होकर दाखिल दफ्तर होकर संलग्न मूल पत्र है।</p> <p style="text-align: center;">  सहायक कलक्टर आमेर म. जयपुर </p>	

